न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-201/2019

प्रार्थी:-

किशनाराम पुत्र पेमाराम जाति प्रजापत निवासी नेवरा गांव तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

-:: बनाम ::-

अप्रार्थीगण:-

1. हीराराम पुत्र पेमाराम
2. गंगाराम पुत्र पेमाराम
3. बिड़दाराम पुत्र पेमाराम
4. हरकाराम पुत्र पेमाराम जातियान प्रजापत निवासीगण नेवरागांव तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:-

1. श्री चंदनसिंह भाटी वकील प्रार्थी की और से।
2. श्री चूनाराम गर्ग वकील अप्रार्थीगण की और से।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 30 .10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आषय का पेश किया कि ग्राम केरलानगर के खसरा नम्बर 1292 का मूल रकबा 39 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काष्त सुदा आई हुई थी। जिसका कुछ समय पूर्व विभाजन कर लिया गया चालु जमाबंदी की नकल साथ में पेश की गई है, मूल खसरा नम्बर 1292 था जिसका आपसी बहामी से विभाजन करने पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि का बट्टा नम्बर 1292/1/3 डाला गया एवं अप्रार्थी के बट्टे नम्बर क्रमशः 1292/1/2, 1292/1, 1292/1/1 व 1292/1/4 डाले गये। इसी प्रकार खाते में व नक्शा ट्रेश में डाले गये थे, उक्त खातों का कम्युटीकरण होते समय प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 1292/4 डाला गया एवम् अप्रार्थीगण के क्रमषः 1292/3, 1292/1, 1292/2, 1292/3, ... डाल दिये गये जो खसरे नक्शा ट्रेश में अंकित खसरों से ... में भिन्नता व अशुद्धी हो गई है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण ... परेशानी हो रही है। प्रार्थी उक्त रेकर्ड की अशुद्धि को शुद्ध करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि ग्राम केरलानगर के मूल खसरा नम्बर 1292 का सभी खातेदारों द्वारा आपसी बहामी से किये गये बंटवारा के अनुसार व नक्शा ट्रेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

में कब्जा काश्त के अनुसार किये गये बंटवारा माफिक खसरा नम्बर जो वर्तमान में अशुद्ध दर्ज है उसे दुरूस्त किया जाकर शुद्ध करवाए जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री चूनाराम गर्ग अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, तहसीलदार ओसियां से उक्त प्रकरण रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार, ओसियां ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण में मूल खसरा नम्बर 1292 के बट्‌टा होने के कारण नक्शा व जमाबंदी में मिलान नहीं हो रहा है। अतः संलग्न जमाबंदी अनुसार उक्त प्रकरण में वर्णित खसरों का शुद्धिकरण किया जाना उचित है।

मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 उचित आधारों पर आधारित पाया जाता है तथा तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत पूर्णतया ठोस आधार प्रकट होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, ओसियां को आदेषित किया जाता है कि प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार ग्राम केरलानगर के मूल खसरा नम्बर 1292 का सभी खातेदारों द्वारा आपसी बहामी से किये गये बंटवारा के अनुसार व नक्शा ट्रेश में कब्जा काश्त के अनुसार किये गये बंटवारा माफिक खसरा नम्बर 1292/1 खातेदार गंगाराम पुत्र पेमाराम, खसरा नम्बर 1292/2 खातेदार बिड़दाराम पुत्र पेमाराम, खसरा नम्बर 1292/3 खातेदार हीराराम पुत्र पेमाराम, खसरा नम्बर 1292/4 खातेदार किषनाराम पुत्र पेमाराम, खसरा नम्बर 1292/5 खातेदार हरकाराम पुत्र पेमाराम खातेदार जो वर्तमान में नक्शा ट्रेस में अशुद्ध दर्ज है उसे जमाबंदी अनुसार नक्शे में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/10/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner